न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
169 / 2024	2024 / 191	24.10.2024	23.02.2026

शीर्षक

मुनेश कुमार बालाई पुत्र ख्यालीराम बलाई जाति बलाई निवासी पाथरेडी तहसील पावटा जिला कोटापूतली–बहरोड, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1 अंगूरी देवी पत्नि पूरणमल
2 अनारी पत्नि स्व. छोटिया
3 जगदीश पुत्र छोटिया
4 रामकुंवार पुत्र छोटिया
समस्त जातियान बावरिया नि. पाथरेड़ी तहसील पावटा जिला कोटपतली–बहरोड़।
5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, कोटपतली–बहरोड़।
6 सबरजिस्ट्रार पावटा, तहसील जिला कोटपतली–बहरोड़, राज0। **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री हजारी लाल यादव
प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 23.02.2026

1. वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा न0 1942 / 0.16, 1947 / 0.20, 1948 / 0.25, 1949 / 0.47, 2102 / 0.65 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पाथरेडी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। जिसे आगे वाद में आराजी मुतदाविया से संबोधित किया गया है। उक्त मुतदाविया का वादी प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 जमाबंदी खतोनी अनुसार रिकार्डेड खातेदार है तथा मौके पर कब्जा अनुसार काबिज काश्त है। तथा वादी आराजी खसरा नम्बर 1942 / 0.16, 2102 / 0.65 हिस्सा सम्पूर्ण पर व खसरा नम्बर 1947 / 0.20, 1948 / 0.25 में से शेष कुल रकबा 0.2706 हैक्ट0 पर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 मौके पर सहमति अनुसार काबिज काश्त है। अपनी सुविधा अनुसार बाहजोत कर रहे है। जमाबन्दी सलंग्न पत्रावली है।

2. वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 1942 / 0.16, 1947 / 0.20, 1948 / 0.25, 1949 / 0.47, 2102 / 0.65 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पाथरेडी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन तामिल (लेने से इंकारी) के बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के खिलाफ दिनांक 09.01.2025 एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 27.01.2025 को वकील वादी की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. दिनांक 13.11.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने दिनांक 19.12.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया जो बाद बहस मैरिट पर निस्तारित करते हुए खारिज किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी वकील बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया, तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1942/0.16, 1947/0.20, 1948/0.25, 1949/0.47, 2102/0.65 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पाथरेडी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	अंगूरी देवी पत्नी पूर्णमल हि. 711/4975, अनारी पत्नी छोटिया हि. 2843/19900, जगदीश पुत्र छोटिया हि. 6743/39800, रामकुंवार पुत्र छोटिया हि. 6743/39800 जाति बावरिया निवासी ढाणी कृतपुरा तन पाथरेड़ी मुनेश कुमार बलाई पुत्र ख्यालीराम हि. 747/1990 जाति बलाई नि. पाथरेडी खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी	1948/3 रकबा 0.0075, 1949/2/0.0430 हैक्ट0 भूमि।
2	अंगूरी देवी पत्नी पूर्णमल हि. 240/1049, अनारी पत्नी छोटिया हि. 240/1049, जगदीश पुत्र छोटिया हि. 2845/10490, रामकुंवार पुत्र छोटिया हि. 2845/10490 जाति बावरिया निवासी ढाणी कृतपुरा तन पाथरेड़ी खातेदार रहन बदस्तुर	1947/2 रकबा 0.10, 1948/2 रकबा 0.1390, 1942 रकबा 0.16, 2102 रकबा 0.65 हैक्ट0 भूमि ।
3	मुनेश कुमार बलाई पुत्र ख्यालीराम हि. पूर्ण जाति बलाई सा.पाथरेडी खातेदार	1947/1 रकबा 0.10, 1948/1 रकबा 0.1035, 1949/1 रकबा 0.4270 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
169/2024	2024/191	24.10.2024	23.02.2026

शीर्षक

मुनेश कुमार बालाई पुत्र ख्यालीराम बलाई जाति बलाई निवासी पाथरेडी तहसील पावटा जिला कोटापूतली–बहरोड, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1 अंगूरी देवी पत्नि पूरणमल
2 अनारी पत्नि स्व. छोटिया
3 जगदीश पुत्र छोटिया
4 रामकुंवार पुत्र छोटिया
समस्त जातियान बावरिया नि. पाथरेड़ी तहसील पावटा जिला कोटपतली–बहरोड़।
5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, कोटपतली–बहरोड़।
6 सबरजिस्ट्रार पावटा, तहसील जिला कोटपतली–बहरोड़, राज0। प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री हजारी लाल यादव
प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1942/0.16, 1947/0.20, 1948/0.25, 1949/0.47, 2102/0.65 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पाथरेडी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	अंगूरी देवी पत्नी पूर्णमल हि. 711/4975, अनारी पत्नी छोटिया हि. 2843/19900, जगदीश पुत्र छोटिया हि. 6743/39800, रामकुंवार पुत्र छोटिया हि. 6743/39800 जाति बावरिया निवासी ढाणी कृतपुरा तन पाथरेड़ी, मुनेश कुमार बलाई पुत्र ख्यालीराम हि. 747/1990 जाति बलाई नि. पाथरेडी खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी	1948/3 रकबा 0.0075, 1949/2/0.0430 हैक्ट0 भूमि।
2	अंगूरी देवी पत्नी पूर्णमल हि. 240/1049, अनारी पत्नी छोटिया हि. 240/1049, जगदीश पुत्र छोटिया हि. 2845/10490, रामकुंवार पुत्र छोटिया हि. 2845/10490 जाति बावरिया निवासी ढाणी कृतपुरा तन पाथरेड़ी खातेदार रहन बदस्तुर	1947/2 रकबा 0.10, 1948/2 रकबा 0.1390, 1942 रकबा 0.16, 2102 रकबा 0.65 हैक्ट0 भूमि ।
3	मुनेश कुमार बलाई पुत्र ख्यालीराम हि. पूर्ण जाति बलाई सा.पाथरेडी खातेदार	1947/1 रकबा 0.10, 1948/1 रकबा 0.1035, 1949/1 रकबा 0.4270 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	